

तारीख  
हुक्म

04-04-25

अप्रार्थी संख्या 3 की ओर से अधिवक्ता श्री देवीलाल कुमावत द्वारा वकालतनामा एवं प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत कर पत्रावली आज सुनवाई पर लेने हेतु निवेदन किया जिस पर आज पत्रावली पेशी पर ली गई। प्रार्थी के अधिवक्ता उपस्थित। अप्रार्थी संख्या 3 के अधिवक्ता उपस्थित। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत इस निगरानी प्रार्थना-पत्र पर अधिवक्ता अप्रार्थी सं. 3 द्वारा प्रारम्भिक आपत्तियां प्रस्तुत करीं हुए निगरानी प्रार्थना-पत्र पोषणीय नहीं होने से खारिज किये जाने का निवेदन किया गया।

हमने अधिवक्ता प्रार्थी एवं अप्रार्थी सं. 3 के अधिवक्ता की बहस सुनी तथा प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया। अधिवक्ता अप्रार्थी सं. 3 द्वारा आपत्तियां प्रस्तुत कर प्रकट किया गया कि हस्तगत निगरानी प्रार्थना-पत्र कालाराम व अन्य द्वारा प्रस्तुत किया गया है जो कि आलौच्य पट्टों से प्रभावित पक्षकार नहीं है। इस कारण प्रार्थी की कोई भी लोकस स्टैण्ड्री नहीं है, इस कारण प्रार्थी यह निगरानी प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत करने का अधिकारी नहीं है। कोई भी निगरानी/वाद/प्रार्थना-पत्र ऐसे प्रभावित पक्षकार द्वारा ही प्रस्तुत किया जा सकता है जिसके अधिकार वादग्रस्त विषयवस्तु से प्रभावित होते हों, जबकि हस्तगत प्रकरण में प्रार्थी के न तो वादग्रस्त भूमि/पट्टे से अधिकार प्रभावित होते हैं और न ही प्रार्थी प्रभावित पक्षकार हैं। प्रार्थी द्वारा अपने निगरानी प्रार्थना-पत्र में कथन किया है कि उसके द्वारा जनहित में निगरानी प्रस्तुत की जा रही है, इस प्रकार जनहित में केवल माननीय उच्च न्यायालय में रिट ही प्रस्तुत की जा सकती है। प्रार्थी को जनहित में निगरानी प्रस्तुत करने का अधिकार नहीं है, इस कारण प्रार्थी का निगरानी प्रार्थना-पत्र चलने योग्य नहीं होने से मय खर्चा खारिज फरमाई जावें।

प्रार्थी के अधिवक्ता ने जवाब में निवेदन किया कि अप्रार्थी सं. 2 के पक्ष में ग्राम पंचायत द्वारा अनियमित रूप से आलौच्य पट्टा विलेख जारी किया गया है, जिस पर अप्रार्थी का कोई हित अधिकार नहीं था। विवादित भूमि ग्राम पंचायत की सार्वजनिक उपयोग के लिये रखी गई थी जिसमें जनहित के लिये भूमि का आवंटन किया जाना था। अप्रार्थी सं. 2 के पक्ष में आलौच्य पट्टा विलेख संख्या 12 दिनांक 02.09.2024 जारी करने में ग्राम पंचायत भूणिया की ओर से कोई विधिवत कार्यवाही नहीं की गई है तथा महज अप्रार्थी सं. 2 को नाजायज फायदा दिलाने एवं सार्वजनिक हित के लिये रखी गई भूमि को हड़पने हेतु आलौच्य पट्टा जारी किया गया है। प्रार्थी इसी ग्राम पंचायत क्षेत्र का जागरूक नागरिक हैं, जिसने जनहित के लिये इस अनियमितता को न्यायालय के सामने लाया है। पंचायतीराज अधिनियम में निगरानी प्रस्तुत करने हेतु हितबद्ध पक्षकार होना आवश्यक नहीं है, इसके उपरांत भी जो भूमि सार्वजनिक हित की है उसके लिये आम नागरिक को निगरानी प्रस्तुत करने का पूर्ण अधिकार है। अतः

अपर कलेक्टर वाइमेर  
(ए.डी.एम.)

अप्रार्थी सं. 3 की प्रारम्भिक आपत्तियों को खारिज करते हुए निगरानी प्रार्थना-पत्र गुणावगुण पर निर्णित करते हुए आलौच्य पट्टा विलेख खारिज फरमाया जावे।

हमने अधिवक्तागण उभय पक्षकारान के द्वारा प्रकट बहस अभिकथनों पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख का अद्योपान्त अवलोकन एवं अध्ययन किया। अधिवक्ता अप्रार्थी सं. 3 की प्रारम्भिक आपत्ति प्रमुख रूप से इस विधिक बिन्दु पर हैं कि प्रार्थी आलौच्य पट्टा विलेख एवं विवादग्रस्त भूमि में प्रभावित पक्षकार नहीं होने से उसे यह निगरानी प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत करने का अधिकार नहीं हैं तथा यह निगरानी पोषणीय नहीं हैं। इस सम्वन्ध में राजस्थान पंचायतीराज अधिनियम, 1994 की धारा 97 का अवलोकन किया जिसका उद्धरण निम्नानुसार है-

"97. राज्य सरकार द्वारा पुनरीक्षण और पुनर्विलोकन की शक्ति - (1) राज्य सरकार, स्वप्रेरणा से या किसी भी हितबद्ध व्यक्ति द्वारा आवेदन किये जाने पर, किन्ही भी कार्यवाहियों के सम्वन्ध में किसी पंचायती राज संस्था या उसकी किसी स्थायी समिति या उपसमिति का अभिलेख उनमें पारित किसी भी विनिश्चय या आदेश के सही होने, उसकी विधिकता या औचित्य के बारे में ऐसी कार्यवाहियों की नियमितता के बारे में स्वयं का समाधान करने के लिए मंगा सकेगी और उसकी परीक्षा कर सकेगी और, यदि किसी भी मामले में, राज्य सरकार को यह प्रतीत हो कि ऐसे किसी भी विनिश्चय या आदेश को उपांतरित या वातिल किया, उलट दिया या पुनविचारार्थ विप्रेषित किया जाना चाहिए तो वह तदनुसार आदेश पारित कर सकेगी :

परन्तु राज्य सरकार किसी भी पक्षकार पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाला कोई भी आदेश तब तक पारित नहीं करेगी जब तक ऐसे पक्षकार को मामले में सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर न मिल गया हो।"

इस प्रकार अधिनियम में यथा विहित प्रावधान अनुसार किन्ही भी कार्यवाहियों के सम्वन्ध में किसी पंचायती राज संस्था या उसकी किसी स्थायी समिति या उपसमिति का अभिलेख उनमें पारित किसी भी विनिश्चय या आदेश के सही होने, उसकी विधिकता या औचित्य के बारे में ऐसी कार्यवाहियों की नियमितता के बारे में परीक्षण करने एवं उस पर विनिश्चय करने हेतु स्वप्रेरणा से या किसी भी हितबद्ध व्यक्ति द्वारा आवेदन किये जाने पर ही अभिलेख मंगाया जाकर उस पर विनिश्चय किया जा सकता हैं। हस्तगत प्रकरण में प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत निगरानी प्रार्थना-पत्र में प्रार्थी प्रत्यक्ष रूप से किसी प्रकार हितबद्ध पक्षकार हैं, ऐसा कोई तथ्य या साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया हैं, जहां तक जनहित का प्रश्न हैं तो इसके लिये प्रार्थी को विहित प्रक्रिया के तहत सक्षम अनुमति उपरान्त ही जनहित का वाद प्रस्तुत किया जाना चाहिए। ऐसे में प्रार्थी इस निगरानी प्रार्थना-पत्र में किसी भी रूप में हितबद्ध व्यक्ति नहीं होने से उसकी ओर से प्रस्तुत निगरानी प्रार्थना-पत्र श्रवण योग्य नहीं हैं।

न्यायालय अति० जिला कलक्टर बाड़मेर

पंचायत निगरानी सं. 11/2025/कालाराम बनाम ग्रा.पं. भूणिया व अन्य  
हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

नम्बर  
अहकाम जो  
की तामील में

तारीख  
हुकम

अतः उपर्युक्त विवेचन एवं विश्लेषण के परिणामस्वरूप अधिवक्ता अप्रार्थी सं. 3 द्वारा प्रस्तुत प्रारम्भिक आपत्तियां स्वीकार करते हुए हस्तगत निगरानी प्रार्थना-पत्र में आलौच्य पट्टा विलेख एवं विवादित भूमि में प्रार्थी हितबद्ध पक्षकार नहीं होने से प्रस्तुत निगरानी प्रार्थना-पत्र श्रवण योग्य एवं पोषणीय नहीं होने खारिज किये जाते हैं। इसके अलावा धारा 97 में यह भी प्रावधान किया गया है कि स्वप्रेरणा से कार्यवाहियों को मंगवाकर उसका परीक्षण कर सकती हैं, अर्थात् प्रार्थी द्वारा ग्राम पंचायत की आलौच्य कार्यवाहियों के बाबत जो आक्षेप प्रस्तुत किये गये हैं, उसकी प्राथमिक रूप से जांच उपरांत यदि प्रतीत हों कि ग्राम पंचायत की ओर से जारी किये गये पट्टा अभिलेख की वैधानिकता, औचित्यता एवं नियमितता के बारे में परीक्षण किये जाने की आवश्यकता है, तो इसके लिये विकास अधिकारी, पंचायत समिति धनाड को निर्देशित किया जाता है कि प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत निगरानी प्रार्थना-पत्र में उल्लेखित तथ्यों के बारे में प्राथमिक रूप से जांच कर यदि किसी प्रकार की अनियमितता परिलक्षित होती है तो नये सिरे से निगरानी प्रार्थना-पत्र मय आलौच्य मूल अभिलेख पुनः प्रस्तुत करें।

पत्रावली निर्णय शुमार होकर नम्बर से कम हों एवं दाखिल दफ्तर हों। विकास अधिकारी पंचायत समिति को साबिका आदेशानुसार आदेशिका की प्रमाणित प्रति अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रेषित हों।

अति० जिला कलक्टर बाड़मेर

अपर कलक्टर बाड़मेर  
(ए.डी.एम.)